न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 08/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. भवानीसिंह पुत्र जोगसिंह राजपूत निवासी– अनावास तहसील पीपाड शहर, जोधपुर।		1. देवीसिंह पुत्र विजय सिंह राजपूत निवासी– अनावास तहसील पीपाड शहर, जोधपुर। 2. प्रबन्धक, आईसीआईसीआई बैंक, शाखा–बिलाडा, जोधपुर। 3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, पीपाडशहर, जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, पीपाडशहर के आदेश दिनांक 29.01.2021 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 68/2019 अनवान देवीसिंह बनाम भवानी सिंह वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री बाबूलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री अर्जुन बोराणा, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या एक की ओर से ।
3– रेस्पो0 संख्या 2 बावजूद सूचना तामीली के अनुपस्थित है।
3– श्री नवल सिह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक 19 सितम्बर,2022

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम अनावास के खाता संख्या 80 में ख0सं0 118 रकबा 6.0109 हैक्टर, ख0सं0 31 रकबा 0.0243 हैक्टर, ख0सं0 32 रकबा 5.4608 हैक्टर कुल खसरा 03 कुल रकबा 11.4960 हैक्टर भूमि आई हुई है। तथा उक्त भूमि उन्हें विरासत में प्राप्त हुई है। पूर्व में रेस्पो0 के पिता स्व0 विजयसिंह का 1/2 हिस्सा निहित है तथा विजयसिंह के देहान्त उपरान्त उनका 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट, उनके भाईयों व बहनों में आया। रेस्पो0 के भाईयों व बहनों ने अपना सम्पूर्ण हक–हिस्सा रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में हकतर्क कर देने पर स्व0 विजयसिंह का सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पो0 संख्या एक में समाहित हो गया। इस प्रकार रेस्पो0 संख्या एक का 1/2 हिस्सा व अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा वादग्रस्त भूमि में निहित है तथा कब्जा व काश्त भी उस अनुसार चला आ रहा है। रेस्पो0 ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया कि अपीलान्ट के द्वारा हल्का पटवारी से मिलीभगत कर उक्त वादग्रस्त भूमि में 2/3 हिस्सा दर्शाकर बदनियतीपूर्वक गलत जानकारी देकर रेस्पो0 संख्या 2 से ऋण प्राप्त कर लिया। उक्त आराजी का राजस्व रेकर्ड में हिस्सा अलग से खोल हुआ नहीं है। दिनांक 5.4.19 को वंशवृक्ष व कब्जा काश्त अनुसार शुद्धिकरण करवाते हुए रेस्पो0 संख्या एक का 1/2 हिस्सा अंकित किया गया। अपीलान्ट ने शुद्धिपत्र दिनांक 31.5.2019 के जरिये रेस्पो0 संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व अपीलान्ट

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

का 2/3 हिस्सा अंकित करवा दिया, जो गलत है जबकि वास्तविकता में दोनों पक्षों का 1/2– 1/2 हिस्सा बनता है। अतः उक्तानुसार प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के उपरान्त अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार पीपाड शहर को आदेश दिया कि राजस्व ग्राम अनावास के ख0सं0 31 व 32 में रेस्पो0 संख्या एक का हिस्सा 1/3 व अपीलान्ट का हिस्सा 2/3 के स्थान पर रेस्पो0 संख्या 1/2 हिस्सा तथा अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करें। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांटस ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, पीपाडशहर के समक्ष उक्त अपीलाधीन प्रकरण दर्ज होने के उपरान्त अन्य पक्षकारान/अपीलान्ट को नोटिस जारी किये जिस पर अपीलान्ट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता अपना जवाब पेश किया तथा निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि वक्त बन्दोबस्त नेनजी वल्द रूपजी, जोगसिंह वल्द विशनसिंह व शिम्भूसिंह वल्द तेजसिंह बहिस्सा बराबर दर्ज रही थी। तत्पश्चात नेनसिंह वल्द रूपसिंह के फौत हो जाने से जरिये नामा0 संख्या 154 नैनसिंह की बहन उगमकंवर पुत्र रूपसिंह के नाम दर्ज हुआ। उगमकवर द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा रामसिंह गौद पुत्र नेनसिंह को वसीयत कर देने से नामा0 संख्या 269 के रामसिंह के खातेदारी में दर्ज हुई। तहसीलदार बिलाडा के आदेश दिनांक 04.12.10 की पालना में उक्त भूमि अप्रार्थी के खातेदारी में नेनसिंह का 1/3 हिस्सा तथा जोगसिंह पुत्र बिशनसिंह के पक्ष 1/3 हिस्सा नामा0 संख्या 295 दर्ज हुआ। इस प्रकार 2/3 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज रहा व 1/3 हिस्सा जो वक्त बन्दोबस्त शिम्भूसिंह वल्द तेजसिंह के खातेदारी में था वो रेस्पो0 संख्या एक के खातेदारी में दर्ज हुआ। नामा0 संख्या 55 के अनुसार उक्त हिस्सा नारायणसिंह, विजयसिंह पुत्र तेजसिंह के खातेदारी में दर्ज हुआ था। जोगसिंह के फौत होने पर भवानीसिंह पुत्र जोगसिंह के खातेदारी में दर्ज हुआ। इस प्रकार उक्त जो भी नामा0 पूर्व में भरे गये उन्हें कभी चुनौती नहीं दी और न ही वसीयतनामें को चुनौती दी है। रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम की परिभाषा में नहीं आता है व न ही किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार घोषित किये जा सकते है। अतः रेस्पो0 संख्या एक का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त तथ्य दर्शाये जाने के बावजूद मनमाने रूप से जरिये आदेश दिनांक 29.01.2021 के रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया जो नियमों के विपरित, विधि विपरित होने से खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने जमाबन्दी में जिन नामा0 के जरिये कायम की गई है, उन तमाम नामा0 संख्या 55, 154, 157, 269, 295, 393, 425 को खारिज कर दिया गया है तथा मिसल बन्दोबस्त को नजरअंदाज कर दिया, साथ ही राजस्व रेकर्ड में कहां, कब व कैसे त्रुटि कारित की है, को बताने में विफल रहा है, जबकि धारा 136 राज0 भ

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अधिनियम के तहत नामा0 खारिज नहीं किये जा सकते व न ही किसी को खातेदार घोषित किये जा सकते।

वकील अपीलांटस ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार से भी कोई रिपोर्ट तलब नहीं की व न ही तथ्यों की कोई जॉच करवाई। तथा न ही हस्तगत प्रकरण में न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की पालना की गई है। इन सब आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश काबिल निरस्ती के है अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावें एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक ने अधिनस्थ न्यायालय से उक्त 03 खसरान की रकबा भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत अनुतोष चाहा था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने ख0सं0 31 व 32 के सम्बन्ध में ही आदेश पारित किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने भूलवश या त्रुटिवश दो खसरों के सम्बन्ध में ही निर्णय पारित किया है। उक्त त्रुटि को इसी स्तर पर सुधारा जाना आवश्यक हैं।

रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ग्राम अनावास के खाता संख्या 80 मे ख0सं0 118 रकबा 6.0109 हैक्टर, ख0सं0 31 रकबा 0.0243 हैक्टर, ख0सं0 32 रकबा 5.4608 हैक्टर कुल खसरा 03 कुल रकबा 11.4960 हैक्टर भूमि आई हुई है। तथा उक्त भूमि उन्हें विरासत में प्राप्त हुई है। पूर्व में रेस्पो0 के पिता स्व0 विजयसिंह का 1/2 हिस्सा निहित हैं तथा विजयसिंह के देहान्त उपरान्त उनका 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट, उनके भाईयों व बहनों में आया। रेस्पो0 के भाईयों व बहनों ने अपना सम्पूर्ण हक–हिस्सा रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में हकतर्क कर देने पर स्व0 विजयसिंह का सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पो0 संख्या एक में समाहित हो गया। इस प्रकार रेस्पो0 संख्या एक का 1/2 हिस्सा व अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा वादग्रस्त भूमि में निहित है तथा कब्जा व काश्त भी उस अनुसार चला आ रहा है।

रेस्पो0 ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया था कि अपीलान्ट भवानीसिंह के द्वारा हल्का पटवारी से मिलीभगत कर उक्त वादग्रस्त भूमि में 2/3 हिस्सा दर्शाकर बदनियतीपूर्वक गलत जानकारी देकर रेस्पो0 संख्या 2 बैंक से ऋण प्राप्त कर लिया। उक्त आराजी का राजस्व रेकर्ड में हिस्सा अलग से खोला हुआ नहीं है। दिनांक 5.4.19 को वंशवृक्ष व कब्जा काश्त अनुसार शुद्धिकरण करवाते हुए रेस्पो0 संख्या एक का 1/2 हिस्सा अंकित किया गया। अपीलान्ट ने शुद्धिपत्र दिनांक 31.5.2019 के जरिये रेस्पो0 संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व अपीलान्ट का 2/3 हिस्सा अंकित करवा दिया, जो गलत है जबके वास्तविकता में दोनों पक्षों का 1/2– 1/2 हिस्सा बनता है। अतः रेस्पो0 संख्या एक के उक्तानुसार प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करने पर माननीय उपखण्ड अधिकारी, पीपाडशहर ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के उपरान्त अपने अपीलाधोन आदेश दिनांक 29.01.2021 के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार पीपाड शहर को आदेश दिया कि राजस्व ग्राम

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अनावास के ख0सं0 31 व 32 में रेस्पो0 संख्या एक का हिस्सा 1/3 व अपीलान्ट का हिस्सा 2/3 के स्थान पर रेस्पो0 संख्या 1/2 हिस्सा तथा अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करें। उक्त अपीलाधीन आदेश के द्वारा राजस्व रेकर्ड शुद्धि किये जाने बाबत जो निर्देश अधिनस्थ न्यायाल्य के द्वारा तहसीलदार को दिये गये है वो उचित है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है, अतः अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जावें।

रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मात्र यह देने से कि उक्त तथ्य साबित नहीं होते। पक्षकारान की वंश वृक्षावली को देखने मात्र से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजी प्रारम्भ से ही 1/2 हक-हिस्से के रूप में चली आ रही है। उक्त आराजी में कभी भी 1/3 हक-हिस्सा किसी भी पक्षकारान का निहित नहीं रहा है। अतः लिखित बहस एवं कथनों के अनुसार अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 को यथाबत बहाल रखा जावे साथ ही ख0सं0 118 के सम्बन्ध में कोई तथ्य अंकित नहीं किये जाने से प्रथमतः उक्त त्रुटि को इसी स्तर पर सुधारा जावें।

रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उनके समक्ष धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की सुनवाई करने के उपरान्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 को पारित किया है वो उचित है जिसे यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसने उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त बन्दोबस्त नेनजी वल्द रूपजी, जोगसिंह वल्द विशनसिंह व शिम्भूसिंह वल्द तेजसिंह बहिस्सा बराबर दर्ज रही थी। तत्पश्चात नेनसिंह वल्द रूपसिंह के फौत हो जाने से जरिये नामा0 संख्या 154 नैनसिंह की बहन उगमकंवर पुत्र रूपसिंह के नाम दर्ज हुआ। उगमकंवर द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा रामसिंह गौद पुत्र नेनसिंह को वसीयत कर देने से नामा0 संख्या 269 के जरिये रामसिंह के नाम खातेदारी नें दर्ज हुई। नामा0 संख्या 295 के जरिये रामसिंह गोदपुत्र नैनासिंह की भूमि भवानीसिंह पुत्र जोगसिंह के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार नैनजी वल्द रूप जी का 1/3 हिस्सा व जोगसिंह वल्द बिशनसिंह का 1/3 हिस्सा यानि कुल 2/3 हिस्सा भवानीसिंह पुत्र जोगसिंह के नाम दर्ज हुई है। इस प्रकार 2/3 हिस्सा अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज रहा। उक्त खसरान भूमि 1/3 हिस्सा जो वक्त बन्दोबस्त शिम्भूसिंह वल्द तेजसिह के खातेदारी में था वो शिम्भूसिह पुत्र तेजसिंह के हिस्से वाली भूमि नारायणसिंह, विजयसिंह पुत्र तेजसिंह के नाम जरिये नामा0 संख्या 55 के दर्ज हुई। तत्पश्चात नारायणसिंह के फौत होने पर विजयसिंह पुत्र तेजसिंह के नाम नामा0 संख्या 157 दर्ज हुआ। नारायणसिह, विजयसिंह पुत्र तेजसिंह के फौत होने पर उनके विरासत का नामा0 संख्या 369 छतरसिंह, देवीसिंह, रघुनाथसिंह पुत्र विजयसिंह पारसकंवर, भगवानकंवर पुत्री विजयसिंह के नाम दर्ज हुए। नामा0 संख्या 425 के द्वारा छतरसिंह,

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रूघनाथसिंह के हक–हिस्से वाली भूमि को देवीसिंह के पक्ष में हकतर्क किये जाने पर उनके स्थान पर देवीसिंह का नाम दर्ज हुआ जाना प्रकट है। इस प्रकार शिम्भूसिंह पुत्र तेजसिंह के 1/3 हिस्से की भूमि क अंकन रेस्पो0 सं0 एक की खातेदारी में दर्ज हुआ। जो पूर्व में नियमानुसार दर्ज किये गये है।

अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 संख्या एक की ओर से प्रस्तुत किये गये धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए राजस्व रेकर्ड में अंकित खातेदारी भूमि का पक्षकारान के हक–हिस्से में खातेदारी परिवर्तन करने आदेश पारित किया गया है जो धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम की परिधी में नहीं आता है। क्योंकि धारा 136 के तहत केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में हुई लिपिकिय त्रुटि की दुरूस्ती ही की जा सकती है न कि किसी खातेदार के हक–हिस्से में यानि खातेदारी हिस्से में परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार के विवाद के सम्बन्ध में नियमित राजस्व वाद के जरिये हो अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों के विवेचन एवं विश्लेषण के पश्चात हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन आदेश को विधि की दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इन आधारों पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने योग्य होने एवं अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपाडशहर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 19 सितम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर